

राजस्थान सरकार
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग

क्रमांक : प्रस्था/मंत्रा./सहा.प्रशा.अधि.पदौ./ 37286-302
कार्यालय आदेश

जयपुर, दिनांक : 8/12/21

विभागीय आदेश क्रमांक : प्रस्था/मंत्रा./पदौ./35162-66 दिनांक : 20.10.2021 द्वारा राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम-1999 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विभागीय बैठक सूचना क्रमांक : 35615-20 दिनांक 29.10.2021 द्वारा दिनांक 29.10.2021 को सहायक प्रशासनिक अधिकारी पद पर वर्ष 2021-22 की नियमित डीपीसी में नियमानुसार वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर की गई अभिशंषा के आधार पर निम्नलिखित वरिष्ठ सहायक को उनके नाम के सामने अंकित पदोन्नति वर्ष में रिक्त दिनांक के विरुद्ध सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर **Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017 के Schedule-I, Part 'B' Rules 5(vi) and (vii), Corresponding Level-10** में पदोन्नत किया जाता है :-

क्र. सं.	कार्मिक का नाम एवं वर्तमान पदस्थापन	वर्ग	पदोन्नति वर्ष	रिक्त दिनांक से पदोन्नति
1.	श्री राकेश कुमार शर्मा सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय, झुंझुनूं	GEN	2021-22	01.04.2021
2.	श्री महावीर पाराशर सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय, भीलवाड़ा	GEN	2021-22	01.04.2021
3.	श्री राकेश कुमार सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय, बांरा	SC	2021-22	01.04.2021
4.	श्री विक्रम सिंह सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय, चुरु	OBC	2021-22	01.04.2021
5.	श्री युगराज सिंह राठौड़ सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, मुख्यालय-जयपुर (वर्तमान कार्यरत स्थान-कार्यालय मंत्री, परिवहन एवं सैनिक कल्याण विभाग, जयपुर)	GEN	2021-22	01.04.2021
6.	श्रीमती मोहिता बोहरा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, मुख्यालय-जयपुर	GEN	2021-22	01.04.2021

पदोन्नत कार्मिकों में से सेवारत कार्मिक अपने वर्तमान पद पर कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्य करते रहेंगे। पदोन्नत कार्मिक के पदोन्नति आदेश उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि से प्रभावी होंगे। पदोन्नति पर वास्तविक परिलाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे।

आदेश जारी होने के 10 दिवस में पदोन्नत पद पर उपस्थिति रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्राप्त नहीं देने की दशा में कार्मिक का स्वतः ही पदोन्नति फॉरगो माना जाएगा। पदोन्नत कार्मिकों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जावेंगे।

तालिका में अंकित क्रम संख्या 1 से 4 तक पदोन्नत कार्मिकों का वेतन सम्बन्धित कार्यालय में रिक्त सहायक जनसम्पर्क अधिकारी के पद के विरुद्ध अग्रिम आदेश होने तक वेतन आहरण करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।


यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



(पुरुषोत्तम शर्मा)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग
जयपुर, राजस्थान

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन/सुजस)/अतिरिक्त निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जयपुर।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक (प्रशासन), सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जयपुर।
6. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को संबंधित जिला कार्यालयों एवं विभागीय वेबसाईट पर प्रेषित/अपलोड करावें।
7. प्रभारी, संबंधित सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय
8. प्रभारी, लेखा शाखा (भुगतान), मुख्यालय-जयपुर।
9. संबंधित शाखा प्रभारी।
10. संबंधित कार्मिक।
11. निजी संचायिका।


(महेश चन्द्र शर्मा)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)